



Neutral Citation Number- 2026:AHC:128667

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या-19921/2026

चीनू

.....आवेदक/आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षी/विपक्षीगण

आवेदक/आवेदकगण के अधिवक्ता

: मोहित कुमार सिंह, सुजाता चौधरी

विपक्षी/विपक्षीगण के अधिवक्ता

: जी.ए.

न्याय कक्ष संख्या-71

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।
2. आज दाखिल किया गया अतिरिक्त शपथ-पत्र अभिलेख पर लिया गया है।
3. यह जमानत आवेदन, वाद अपराध संख्या-112/2025, पुलिस स्टेशन-टी.पी. नगर, जिला-मेरठ में बी.एन.एस. की धाराओं-103(1), 238, 309(6), 317(2) के तहत आवेदक को जमानत पर रिहा करने के लिए दाखिल किया गया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक बेगुनाह है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। मृतक की पत्नी ने दिनांक 21.2.2025 को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि मृतक दिनांक 18.2.2025 को घर से निकला था लेकिन वापस नहीं

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



लौटा। गुमशुदगी की रिपोर्ट में किसी का नाम नहीं लिया गया था। रिपोर्ट दर्ज कराने से पहले मृतक की पत्नी ने कोई शक या संदेह नहीं जताया था। इसके पश्चात, दिनांक 22.2.2025 को मृतक का शव मिला। दिनांक 23.2.2025 को मृतक के परिवार वालों ने शव की पहचान की और उसके बाद एक कहानी गढ़ी गई और दिनांक 24.2.2025 को आवेदक और सह-आरोपी अतुल के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की गई। आगे यह भी कहा गया है कि कथित घटना दिनांक 18.2.2025 को हुई थी, जबकि एफ.आई.आर. शव मिलने के बाद दिनांक 24.2.2025 को दर्ज की गई। इस बहुत ज़्यादा देरी का कोई कारण नहीं बताया गया है और एफ.आई.आर. काफी सोच-विचार के बाद दर्ज की गई थी। अगर घटना वैसी ही हुई होती जैसा कि दिनांक 24.2.2025 की एफ.आई.आर. में बताया गया है, तो इसका ज़िक्र दिनांक 21.2.2025 की गुमशुदगी की रिपोर्ट में ही किया गया होता। आवेदक पर एकमात्र आरोप मृतक को साथ ले जाने का है, जो कि बाद में सोचा-समझा गया आरोप लगता है। आगे यह भी कहा गया है कि मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है और परिस्थितियों की कड़ी पूरी नहीं है। मृतक की शव-विच्छेदन रिपोर्ट के अनुसार, मौत का कारण पता नहीं चल सका, इसलिए विसरा सुरक्षित रखा गया था। अभिलेख में कोई विसरा रिपोर्ट नहीं है। आवेदक के पास से या उसकी निशानदेही पर कोई आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई है। आवेदक के खिलाफ आखिरी बार साथ देखे जाने के साक्ष्य के अलावा कोई गवाह नहीं है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कहना है कि आवेदक दिनांक 4.5.2025 से जेल में बंद है और यदि उसे ज़मानत पर रिहा किया जाता है, तो वह ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



5. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक के ज़मानत आवेदन का विरोध किया और कहा कि अपराध में आवेदक की संलिप्तता के संबंध में उसके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं, इसलिए वह ज़मानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है।
6. मैंने पक्षकारों की विरोधी दलीलों पर विचार किया है और अभिलेख का अवलोकन किया है।
7. उभय पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों, आरोपों की प्रकृति, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य, आवेदक द्वारा जेल में बिताई गई अवधि और उसके कोई आपराधिक इतिहास न होने पर विचार करने के बाद, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय दिए बिना, यह न्यायालय इस नतीजे पर पहुंची है कि आवेदक ज़मानत पाने का हकदार है।
8. तदनुसार, ज़मानत आवेदन **स्वीकृत** की जाती है ।।
9. आवेदक-चीनू, जो ऊपर बताए गए आपराधिक मामले में संलिप्त है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र और दो ज़मानतदार प्रस्तुत करने पर ज़मानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह नीचे दी गई शर्तों का पालन करे। साथ ही, रिहाई का आदेश जारी करने से पहले ज़मानतदारों का सत्यापन किया जाए।
- (i) आवेदक को यह वचन देना होगा कि जब गवाह न्यायालय में मौजूद हों और साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए तारीख तय हो, तो वह सुनवाई टालने की मांग नहीं करेगा। यदि इस शर्त का पालन नहीं किया जाता है, तो विचारण न्यायालय इसे ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मान सकता है और विधि के अनुसार आदेश दे सकता है।
- (ii) आवेदक को विचारण न्यायालय द्वारा तय की गई प्रत्येक तारीख पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के ज़रिए प्रस्तुत होना होगा। यदि वह बिना किसी ठोस वजह के गैर-हाज़िर रहता है, तो

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



विचारण न्यायालय उसके खिलाफ आई.पी.सी. की धारा-229-ए/बी.एन.एस. की धारा-269 के तहत कार्रवाई कर सकती है।

(iii) यदि आवेदक विचारण के दौरान ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, तो उसकी मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए सी.आर.पी.सी. की धारा-82/बी.एन.एस. की धारा-84 के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है। यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में तय तारीख पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं होता है, तो विचारण न्यायालय विधि के अनुसार आई.पी.सी. की धारा-174-ए/बी.एन.एस. की धारा-209 के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू करेगा।

(iv) आवेदक को विचारण न्यायालय के समक्ष (1) वाद शुरू होने पर, (2) आरोप तय होने पर, और (3) सी.आर.पी.सी. की धारा-313/बी.एन.एस. की धारा-351 के तहत बयान दर्ज होने पर इन तारीखों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना होगा। यदि विचारण न्यायालय को लगता है कि आवेदक जानबूझकर या बिना किसी ठोस कारण के अनुपस्थित रहा है, तो न्यायालय इस चूक को ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मान सकता है और विधि के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।

10. ऊपर दी गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर यह ज़मानत रद्द करने का आधार होगा।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को ज़मानत देते समय की गई बातें, गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी अलग राय बनाने में विद्वान विचारण न्यायाधीश को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेगी।

(माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

23 जून, 2026

ललित शुक्ला

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”